RECENT RESEARCHES in
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issue : 3 & 4, Vol. : 5,
July-December (2018), Joint Edition, Pages : 45 - 48
ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

कुमाऊँ क्षेत्र की चीनी मिलों का निष्पादन – मूल्याकंन

रूचि रानी

शोध छात्रा वाणिज्य, राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर जनपद ऊधमसिंहनगर

Received : 12/09/2018 *1st BPR* : 01/10/2018 *2nd BPR* : 18/10/2018 *Accepted* : 11/12/2018

ABSTRACT

चीनी उद्योग भारत के प्रमुख उपभोक्ता सामान विनिर्माणी उद्योगों में से एक है। यह कृषि–आधारित वृहद्स्तरीय श्रेणी का उद्योग है जो कुमाऊँ क्षेत्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रभावकारी तथा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। कुमाऊँ क्षेत्र का तराई प्रभाग गन्ना उत्पादन की दृष्टि से एक अत्यन्त समृद्ध क्षेत्र है जिस कारण चीनी मिलों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के अतिरिक्त यह उद्योग अन्य अनुशंगी उद्योगों के लिए भी कच्ची सामग्री उपलब्धता का एक स्रोत है जिससे औद्योगीकरण का आधार सृदृढ़ होता है। चीनी मिलों के उपोत्पादों, अपशिष्टों एवं अवशिष्टों का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करने हेतु अनेक सहायक उद्योग स्थापित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए खोई का प्रयोग पेपर बोर्ड, कार्ड बोर्ड तथा एम0जी0 क्राप्ट पेपर तैयार करने में कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। शीरा शराब कारखानों (आसवनियों) के लिए कच्ची सामग्री होता है जबकि प्रेसमड (तलछट) अखबारी स्याही बनाने में प्रयुक्त होता है एवं स्पेण्ट अर्थ साबुन विनिर्माणी इकाइयों के लिए कच्चा माल होता है। आसवनियों द्वारा तैयार स्प्रिट रसायन उत्पादक उद्योगों के काम आती है। फ्यूजी ऑयल जो आसवनियों का उपोत्पाद है, का भी औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। प्रस्तुत शोध–पत्र में कुमाऊँ क्षेत्र की चीनी मिलों का विगत दस वर्षों का उत्पादन के दृष्टिकोण से निष्पादन मूल्याकंन किया गया है ताकि इन चीनी मिलों का क्षेत्र के औद्योगीकरण में योगदान ज्ञात किया जा सके।

की–वर्ड : विनिर्माणी, कृषि–आधारित, अनुशंगी, औद्योगीकरण, प्रभावकारी, उपलब्धता।

प्रस्तावना

चीनी उद्योग पूर्णतः न सही परन्तु भारी रूप से सरकार द्वारा नियन्त्रित होता है। गन्ना मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है जो चीनी मिल मालिकों को स्वीकार्य नहीं होता है क्योंकि उनकी दृष्टि में यह अत्यधिक एवं अलाभकारी होता है जिसका परिणाम व्यापारिक हानि होता है जो इन मिलों को रूग्णता की ओर ले जाता है। दूसरी ओर, उत्पादित चीनी का 10 प्रतिशत सरकार द्वारा लेवी के रूप में लिया जाता है जिसकी कीमत सरकार द्वारा स्व–निर्धारित होती है। उक्त कीमत उत्पादन लागत को दृष्टिगत रखते हुए अत्यन्त कम होती है। यह मूल्यांतर भी चीनी मिलों के लाभ–परिमाण को कम करने अथवा हानि को बढाने में सहायक सिद्ध होता है। शेष 90 प्रतिशत चीनी, मिलों द्वारा खुले बाजार में बेच दी जाती है। इस सम्बन्ध में भी चीनी मिलें एकाधिकारी स्थिति में नहीं होती हैं जो अपने लिए लाभप्रद कीमत निर्धारित कर सकें। जब कभी खुले बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार जनाक्रोश से बचने लिए कीमतों को नीचा लाने के लिए बाजार में चीनी का कोटा अवमुक्त कर देती है जिसके परिणामस्वरूप बाजार में चीनी की आपूर्ति मात्रा में वृद्धि हो जाती है जो कीमतों को नीचे लाने में सहायक बनती है और इस प्रकार चीनी मिलों के लिए अत्यन्त अल्प उपान्त ही बच रहता है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण के कारण चीनी उद्योग ने अपनी वाणिज्यिक उच्चावचता को खो दिया है। इतना ही नहीं शीरा भी एक सरणीकृत तथा नियन्त्रित वस्तु है, जिसकी आपूर्तित मात्रा तथा कीमत दोनों केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।[1]

कुल चीनी उत्पादन

उत्तराखण्ड में सन् 2011–12 तक कुल 10 चीनी मिलें थी। 2012–13 में काशीपुर स्थित डी0एस0एम0 चीनी मिल बन्द हो गई थी जबकि 2015–16 में गदरपुर स्थित किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड बन्द हो गई थी। इस प्रकार कुमाऊँ क्षेत्र में अब केवल चार चीनी मिलें ही रह गयी हैं। निम्नलिखित तालिका विगत दस वर्षों में कुमाऊँ क्षेत्र में कुल चीनी उत्पादन (कुण्टल में) को अभिव्यक्त करती हैः–

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 45-48, ISSN 2348 – 3318

रूचि रानी

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

तालिका 1 : कुमाऊँ क्षेत्र में कुल चीनी उत्पादन (कुण्टल में)

वर्ष	चीनी मिल का नाम						योग
	सितारगंज	बाजपुर	गदरपुर	नादेही	किच्छा	काशीपुर	
2008–09	125005	173569	133811	124560	250582	167464	9,74,991
2009–10	131875	109887	141858	110479	207212	176884	8,78,195
2010–11	163744	252160	135960	155538	282024	215342	1 2,04,768
2011–12	196930	339180	186301	174028	324252	221090	1 4,41,781
2012–13	236125	290956	176865	180069237	335222	–	12,19,
2013–14	173000	340000	144000	199000000	281000	–	11,37,
2014–15	257138	323357	129535	251505550	338015	–	12,99,
2015–16	159456	322274	–	238214	301275	–	10,21,219
2016–17	142915	204061	–	255814	322327	–	9,25,117
2017–18	–	343000	–	308000	452000	–	11,03,000
योग	15,86,188	26,98,444	10,48,330	19,97,207	30,93, 909	78,0780	1,12,04,858
योगदान	14.16	24.08	9.36	17.82	27.61	6.97	100.00

स्रोतः– कार्यालय, गन्ना आयुक्त उत्तराखण्ड, काशीपुर

उपर्युक्त तालिका पर दृष्टिपात से यह स्पष्ट होता है कि विगत दस वर्षों में कुमाऊँ मण्डल में अवस्थित सभी चीनी मिलों द्वारा कुल 1,12,04,858 कुण्टल चीनी का उत्पादन किया गया है। इसमें सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर, नादेही, किच्छा एवं काशीपुर चीनी मिलों द्वारा क्रमशः 1586188, 2698444,1048330,1997207,3093909 तथा 780780 कुण्टल चीनी का उत्पादन कर अपना योगदान दिया गया है जो क्रमशः 14.16, 24.08, 9.36, 17.82, 27.61 तथा 6.97 प्रतिशत है। किच्छा चीनी मिल का योगदान सर्वाधिक है जो 27.61 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर बाजपुर चीनी मिल है जिसका योगदान 24.08 प्रतिशत है जबकि नादेही चीनी मिल 17.82 प्रतिशत भागीदारी के साथ तीसरे स्थान पर है।

डी0एस0एम0 (धामपुर शुगर मिल्स) काशीपुर का पुराना नाम एल0एच0 शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड था जिसकी स्थापना 512 लाख रू0 की पूँजी के साथ 1937–38 में हुई थी। इस मिल का तत्कालीन पंजीकृत कार्यालय पीलीभीत (उ0प्र0) में था। यह मिल चीनी उत्पादन के क्षेत्र में कुमाऊँ क्षेत्र की प्रथम इकाई है।[2] उच्च परिवहन लागत, संयत्र विस्तार में कठिनाई, ऋण पूँजी पर अत्यधिक वित्तीय भार, गन्ने की उपलब्धता में कमी, संयत्र का पुरानापन जैसी अनेक समस्याओं से जूझने के कारण मिल अन्ततः 2012–13 में बन्द हो गयी थी। इसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होकर 2015–16 में गदरपुर चीनी मिल भी बन्द हो गयी थी।

चीनी रिकवरी–दर

चीनी मिल द्वारा उत्पादित चीनी की मात्रा का उसके उत्पादन में प्रयुक्त गन्ने की मात्रा पर प्रतिशत चीनी रिकवरी दर कहलाता है। चीनी रिकवरी दर जितनी ऊँची होगी, चीनी उत्पादन की लागत उतनी ही कम होगी अर्थात् रिकवरी दर एवं चीनी उत्पादन लागत दोनों में व्युत्क्रम सम्बन्ध है जबकि चीनी रिकवरी दर तथा लाभप्रदता परिमाण में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। चीनी मिलों के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए उच्च रिकवरी दर आवश्यक है। दक्षिण भारत में अवस्थित चीनी मिलों की रिकवरी दर उत्तर भारत में अवस्थित चीनी मिलों की रिकवरी दर की तुलना में हमेशा उच्च रही है। विगत दस वर्षों के रिकवरी दर समंक स्पष्ट करते हैं कि दक्षिण भारत की चीनी मिलों की औसत रिकवरी दर 11.36 प्रतिशत रही है जबकि उत्तर भारत की चीनी मिलों की रिकवरी दर इसी अवधि के दौरान 9.64 प्रतिशत रही है। कुमाऊँ क्षेत्र की चीनी मिलों की औसत रिकवरी दर विगत दस वर्शों में निम्न प्रकार दर्ज की गई हैः–

तालिका–2 : कुमाऊँ क्षेत्र में अवस्थित चीनी मिलों की रिकवरी दरें (प्रतिशत में)

वर्ष	कुमाऊँ क्षेत्र की औसत रिकवरी दर	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की औसत रिकवरी दर
2008–09	9.05	9.20
2009–10	8.70	9.19
2010–11	9.21	9.25
2011–12	9.01	9.10
2012–13	8.95	9.17
2013–14	9.53	9.23
2014–15	9.88	9.40
2015–16	9.60	9.66
2016–17	9.43	9.86
2017–18	9.69	10.24

स्रोत
कार्यालय, गन्ना आयुक्त उत्तराखण्ड, काशीपुर

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 45-48, ISSN 2348 – 3318

विगत दस वर्षों में उत्तराखण्ड में अवस्थित चीनी मिलों की समग्र रिकवरी दर 9.10 प्रतिशत तथा 10.24 प्रतिशत के बीच रही। इसमें वृद्धि की प्रवृति परिलक्षित हुई।[4] इसी अवधि में कुमाऊँ क्षेत्र की चीनी मिलों की औसत रिकवरी दर 9.01 प्रतिशत तथा 9.88 प्रतिशत के बीच रही। कुमाऊँ क्षेत्र की रिकवरी दर तुलनात्मक रूप से कम होने का मुख्य कारण है– विभिन्न गन्ना प्रजातियों की मिठास में भिन्नता, कृषि–योग्य भूमि के गुण एवं विशेषताओं में भिन्नता, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता में अन्तर, कृषि आदानों की गुणवत्ता एवं उपयोग में भिन्नता कृषि तकनीक में अन्तर आदि। इसके अतिरिक्त मौसम में परिवर्तन का भी गन्ने के मिठास पर प्रभाव पड़ता है। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि जिन चीनी मिलों की मशीनें पुरानी हो गयी हैं तथा जो पुरानी कार्बोनेशन पद्धति को अपनाकर उत्पादनरत हैं, उन्हीं मिलों की रिकवरी दरें न्यून पायी गयी हैं। जो चीनी मिलें डबल सल्फिटेशन प्लाण्ट की सहायता से चल रही हैं, उनकी रिकवरी दरें तुलनात्मक रूप में उच्च हैं।[5]

वित्तीय निष्पादन

चीनी मिलें अनेक कारणों से गन्ना आपूर्तिकर्त्ता किसानों को उनके देयों का समय पर भुगतान करने में सदैव फिसड्डी रहती हैं। चीनी मिलों की यह प्रवृत्ति कृषक हितों पर न केवल एक कुठाराघात है अपितु इसे लेकर गन्ना उत्पादकों में पर्याप्त रोष भी रहता है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गन्ना किसानों ने गन्ने की खेती से हाथ खींच लिये हैं। इसी का परिणाम है कि गन्ने का रकबा प्रतिवर्ष घटता जा रहा है। गन्ना बुआई क्षेत्र कम होने के कारण चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता में कमी आयी है। विगत दस वर्षों के बकाया के आकड़ें स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न चीनी मिलों का बकाया 19 से लेकर 65 प्रतिशत तक रहा है। गन्ने की उपलब्धता में कमी के कारण एक के बाद एक चीनी मिलें न्यून क्षमता उपयोग के कारण बन्द होती जा रही हैं। न्यून क्षमता उपयोग के कारण लाभप्रदता में निरन्तर गिरावट आती है और इस प्रकार मिलें रूग्ण होकर बन्द हो जाती हैं।[6] गन्ना एक नकदी फसल है। गन्ना किसान मिलों को गन्नापूर्ति के बाद यथाशीघ्र इसका भुगतान चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी गन्ना उत्पादन से सम्बद्ध समस्त लागतों का तुरन्त भुगतान करना होता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक दायित्वों के भुगतान के लिए भी किसानों को नकद राशि की तुरन्त आवश्यकता होती है।

विपणन निष्पादन

भारत में चीनी का उत्पादन लोक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र तीनों ही क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। चीनी के विपणन में आंशिक नियत्रंण तथा राशनिंग व्यवस्था लागू है। सरकार द्वारा निर्धारित चीनी की कीमतें उत्पादन लागत के सापेक्ष सदैव कम होती हैं जिससे चीनी उद्योग को हानि उठानी पड़ती है। सरकार लेवी के रूप में स्व–निर्धारित कीमत (प्रशासित कीमत) पर उत्पादित चीनी का एक भाग चीनी मिलों से लेती है और शेष भाग कुछ प्रतिबन्धों के साथ खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध रहता है जो विपणन व्यवस्था पर एक कुठाराघात प्रमाणित होता है। इस प्रकार चीनी मिलों की विपणन व्यवस्था एवं उच्चावचता सरकार की दया पर निर्भर करती है। अति संवेदनशील खाद्य पदार्थ होने के कारण सरकार को सदैव उपभोक्ता हितों की चिन्ता रहती है जिसको आधार बनाकर सरकार चीनी मिलों के पास खुले बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध चीनी का कोटा एवं बिक्री की समय सीमा निर्धारित कर देती है जो स्वतंत्र विपणन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि चीनी मिलों का विपणन निष्पादन निम्न रहता है। खुली बाजार शक्तियों पर प्रतिबन्ध का प्रभाव निश्चित रूप से विपणन निष्पादन पर पड़ेगा ही।

चीनी उद्योग की विपणन व्यवस्था पर तब और भी अधिक कुठाराघात होता है जब बाजार में चीनी की कीमतों में वृद्धि होने पर सरकार बफर स्टॉक बाजार में बिक्री हेतु जारी कर देती है और इस कदम द्वारा कीमतों को कम करने के प्रयास में जुट जाती है।[7] इस कदम से सरकार तो जनता की वाह–वाही लूटने में कामयाब हो जाती है परन्तु चीनी मिलें बढ़ी हुई कीमतों का लाभ उठाने में असमर्थ रहती हैं। इस प्रकार चीनी उद्योग दोनों ओर से भारी दबाब का सामना करता है और विपणन निष्पादन निम्न स्तरीय रहता है। ऐसी स्थितियों में चीनी उद्योग विशुद्ध वाणिज्यिक सिद्धातों के अनुरूप प्रचालित नहीं हो पा रहा है। मिलों से लेवी के रूप में प्राप्त चीनी सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित कर दी जाती है। लेवी चीनी का अनुपात जितना उच्च होता है, चीनी मिलों की लाभप्रदता उतनी ही कम होती है क्योंकि जिस कीमत पर सरकार मिलों से लेवी चीनी प्राप्त करती है वह कीमत उनकी उत्पादन लागत से भी काफी कम होती है। सरकार भी लेवी चीनी की अधिक कीमत मिलों को देने में असमर्थ रहती है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों से चीनी की जो कीमत वसूल की जाती है वह लेवी चीनी की कीमत में 10 प्रतिशत जोड़कर ही निर्धारित की जाती है। राशन डीलर को कमीशन का भुगतान भी इसी राशि में से किया जाता है। इस प्रकार जनकल्याण एवं वाणिज्यिक सिद्धान्त दोनों साथ–साथ नहीं चल सकते। लोकतान्त्रिक सरकारें उपभोक्ता कल्याण से भी मुँह नहीं मोड सकती। दूसरी ओर चीनी मिलें भी अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर सरकार को लेवी चीनी देकर जीवित नहीं रह सकती।

चीनी मिलों के विपणन निष्पादन पर सरकार के इस कदम का भी कुप्रभाव पड़ता है कि मुद्रा–स्फीति के दौर में उन्हें अपने कर्मचारियों को मजदूरी बोर्ड भी सिफारिशों के अनुसार बढ़ी हुई मजदूरी एवं वेतन का भुगतान करना होता है। यही नहीं गन्ना

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 45-48, ISSN 2348 – 3318

कीमत निर्धारण में सरकारों द्वारा चीनी मिलों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार भी प्रदान नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा अनेक कारणों एवं दबावों के अन्तर्गत गन्ने का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वह चीनी मिलों द्वारा आगणित मूल्य से कहीं अधिक उच्च होता है जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की लागत में सार्थक वृद्धि हो जाती है। चीनी नियंत्रण एवं कार्यवाही के कारण विपणन निष्पादन निम्न स्तरीय ही रहता है।

निष्कर्ष

चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। नकदी फसल होने के कारण गन्ना उत्पादन कृषकों की पहली पसन्द है। चीनी मिल औद्योगीकरण में इंजन का कार्य करती है क्योंकि चीनी मिलों की स्थापना के साथ ही अनेक प्रकार के सहायक उद्योग भी पनपते लगते हैं तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। पूरे क्षेत्र में खोई को उपयोग में लाने के लिए पर्याप्त संख्या में पेपर मिलें एवं गन्ना मिलें अवस्थित हैं।

सन्दर्भ

1 राज्य व्यापार निगम नई दिल्ली के कार्यालय अभिलेख से उदधृत।
2 महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र जनपद ऊधमसिंहनगर, रुद्रपुर के कार्यालय अभिलेखों से उद्धृत।
3 औद्योगिक मार्ग निर्देशिका, जनपद ऊधमसिंहनगर, 2016, पृ0 35
4 निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय अभिलेखों से उद्धृत।
5 मूल्याकंन रिपोर्ट, गन्ना शोध केन्द्र, काशीपुर
6 Godgil, P.G and P.L : Industrial Economy of India, Euresia, New Delhi, 1985 pp. 135-138
7 Mishra and Pur: Indian Economy, Himalaya Publishing House, New Delhi : 2017 pp 248-250